उत्तर प्रदेश सरकार

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या-50/2015/2341सी0डी0/46-3-15-58(120)/2008

लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर ,2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के ''परन्तुक'' द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा नियमावली,1979 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं;

उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-3 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा नियमावली 1979, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-3 में,

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (एक) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात,

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान खण्ड	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
3 (एक) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य तत्समय सम्भाग के प्रभारी सम्भागीय उप गन्ना आयुक्त या संयुक्त गन्ना आयुक्त से है।	3- (एक)''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है।

(ख) विद्यमान खण्ड (तीन) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात ,

"(तीन) (क)-"आयोग" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग", से है:

नियम-5 का प्रतिस्थापन 3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा,अर्थात,

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
5-भर्ती का स्रोत- सेवा में पदों पर भर्ती सीधी द्वारा की जायेगी।	**भर्ती का स्रोत 5.** सेवा में पदों पर भर्ती, आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम-8 का प्रतिस्थापन 4- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8- आयु- सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की 1 जनवरी को यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाय, और 1 जुलाई को यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 27 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछडे वर्गो और ऐसी अन्य प्रवर्गो के जिन्हे सरकार द्वारा समय-समय अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों के मामले में उच्च आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।	**आयु 8.** सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

नियम-9 का प्रतिस्थापन 5- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9-शैक्षिक अर्हताएं-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट (कृषि) परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता-प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, या (दो) (क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में दो वर्ष का डिप्लोमा रखता हो।	**शैक्षणिक अर्हताएं** 9. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं: (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (2) कम्प्यूटर संचालन में डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (डोएक) सोसायटी द्वारा प्रदान किया गया ''सी0सी0सी0'' प्रमाण- पत्र ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम-13 का प्रतिस्थापन 6- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13- रिक्तियों का अवधारण- नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछडे वर्ग और अन्य प्रवर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और प्रवृत नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा।	**रिक्तियों का अवधारण 13.** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

नियम-14 का प्रतिस्थापन 7- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-14, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात ,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14-सीधी भर्ती की प्रक्रिया-(1) भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगें:- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी.....**अध्यक्ष** (दो) सम्भाग के दो जिला गन्ना अधिकारी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें..... **सदस्य** (2) चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग और अन्य प्रवर्गो के अभ्यर्थियो का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियो को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हो। (3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता-क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता-क्रम में रखेगी। सूची में नामो की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नही होगी। उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की	**सीधी भर्ती की प्रक्रिया** 14-सीधी भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (ढंग और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जायेगी।

नियम-18 का प्रतिस्थापन 8- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-18, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात ,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18-परिवीक्षा- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा: परन्तु संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना की जा सकती है। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जायः परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पर पद धारणाधिकार न हो तो, उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है, जिस से वह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।	**परिवीक्षा 18.** (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो, उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (3) उपनियम-(2) के अधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं समाप्त किये जाने पर वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम-20 का प्रतिस्थापन 9-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-20, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ज्येष्ठता-20- (1) सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक सम्भाग के लिये पृथक ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी और गन्ना आयुक्त द्वारा भी एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी। (2) सेवा में ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और जहां दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय, वहां उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगीः- परन्तु यह कि, जो व्यक्ति गन्ना ग्राम सेवक के पदों से गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर आमेलित किये गये हैं, वे ऐसे आमेलन के पूर्व गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ट होंगे और उनकी परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो गन्ना ग्राम सेवक संवर्ग में थी।	**ज्येष्ठता 20.** सेवा में पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी: परन्तु यह कि, जो व्यक्ति गन्ना ग्राम सेवक के पदों से गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर आमेलित किये गये हैं, वे ऐसे आमेलन के पूर्व गन्ना पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ट होंगे और उनकी परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो गन्ना ग्राम सेवक संवर्ग में थी।

नियम-21 का प्रतिस्थापन 10-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-21, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगाय अर्थात,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
21. वेतनमान-(1) सेवा में किसी पद पर, चाहें मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान वहीं होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैः- (एक) सामान्य वेतनमान 230-6-290-द0रो0-9-335-द0 रो0-10-385 रू0। (दो) चयन श्रेणी का वेतनमान- 250 -7-285-द0 रो0-9-375-द0 रो-10-425 रू0। टिप्पणी- सेवा में 15 प्रतिशत स्थायी पद चयन श्रेणी के होंगें, जो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते	**वेतनमान 21.**(1) सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रवृत्त होने के समय वेतनमान रु0 2400/- ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड-1 (रु0 5200-20200) होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हुए ज्येष्ठता के आधार पर दिये जायेंगें।

नियम-23 का निकाला जाना 11-उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 23 को निकाल दिया जायेगा।

परिशिष्ट-'क' का प्रतिस्थापन 12-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान **परिशिष्ट-'क'**, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात,

स्तम्भ-1					**स्तम्भ-2**			
विद्यमान परिशिष्ट					**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**			
परिशिष्ट-''क''					**परिशिष्ट-''क''**			
पद का नाम	**सदस्य संख्या**		**योग**	**वेतनमान**	**पद का नाम**	**सदस्य संख्या**		**योग**
	स्थायी	**अस्थायी**				**स्थायी**	**अस्थायी**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**
गन्ना पर्यवेक्षक	1336	83	1419	रु0 230-6-290-द0रो0-9-335-द0 रो0-10-385 स्थायी पदो के पन्द्रह प्रतिशत पद वेतनमान रु0 250-7-285-द0 रो0-9-375-द0 रो0-10-425, में सेलेक्शन ग्रेड के हैं।	गन्ना पर्यवेक्षक	3767	-	3767

आज्ञा से

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या -50/2015/2341 (1) सी0डी/46-3-15-58(120)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ को, अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी (हस्ताक्षरित) की एक-एक प्रति सहित, इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचनाओं को दिनांक 29.09.2015 के असाधारण गजट अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराने एवं अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी (प्रत्येक) की 1500 मुद्रित प्रतियां प्राथमिकता पर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-50/2015/2341(2) सी0डी/46-3-15-58(120)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा लेखा परीक्षा प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ

3- कार्मिक नियमावली सेल, कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन।

4- कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।

5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.50/2015/2341C.D ./46-3-15-58(120)/2008 dated:: September 29 , 2015:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
CHINI UDYOG ANUBHAG-3

NOTIFICATION
Miscellaneous

N0. 50/2015/2341 C.D./46-3-15-58(120)/2008
Dated Lucknow, September 29 , 2015

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Ganna Paryavekshak (Group III) Service Rules, 1979:

THE UTTAR PRADESH GANNA PARYAVEKSHAK (GROUP- III) SERVICE (SECOND AMENDMENT) RULES, 2015

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Ganna Paryavekshak (Group III) Service (Second Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Ganna Paryavekshak (Group III) Service Rules, 1979, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3,-

(a) For the existing clause (i) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:

COLUMN-1 **Existing clause**	**COLUMN-2** **clause as hereby substituted**
(i) "appointing authority" means the Regional Deputy Cane Commissioner or Joint Cane Commissioner who may be incharge of the region for the time	(i) "appointing authority" means the Cane Commissioner, Uttar Pradesh;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

being;

(b) After existing clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(iii) (a)" Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;

3. In the said rules, for existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN-1 Existing rule		COLUMN-2 Rule as hereby substituted
Source of recruitment	5. Recruitment to the posts in the service shall be made by direct recruitment.	**Source of recruitment**	5. Recruitment to the posts in the service shall be made by direct recruitment through the Commission.

Substitution of rule 8

4. In the said rules, for existing rule 8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN-1 Existing rule		COLUMN-2 Rule as hereby substituted
Age	**8**. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 27 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31: Provided that in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and such other categories, as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by	**Age**	**8**. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

such number of years as may be specified:	such number of years as may be specified.

Substitution of rule 9

5. In the said rules, for existing rule 9 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN-1 Existing rule		COLUMN-2 Rule as hereby substituted
Academic qualifications	9. A candidate for direct recruitment to a post in the service- (i) must have passed the Intermediate (Agriculture) Examination from the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto, Or (ii) (a) must have passed the High School Examination from the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto; (b) must possess two years diploma in Agriculture from a recognised Institution.	**Academic qualification**	9.A candidate for direct recruitment to a post in the service must possess the following qualifications: (i) Bachelor's degree in Agriculture Science from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto. (ii) 'CCC' Certificate in Computer operation awarded by the DOEACC Society.

Substitution of rule 13

6. In the said rules, for existing rule 13 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 Existing rule	COLUMN-2 Rule as hereby substituted

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Determination of vacancies	13. The appointing authority shall determine and notify to the Employment Exchange, in accordance with the rules or orders in force, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other categories under the rule 6.	**Determination of vacancies**	13. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Substitution of rule 14

7. In the said rules, for existing rule 14 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN-1 **Existing rule**		**COLUMN-2** **Rule as hereby substituted**
Procedure for direct recruitment	14. (1) For the purpose of recruitment there shall be constituted a selection committee comprising- (i)Appointing authority--- **Chairman.** (ii) Two District Cane Officers of the Region, to be nominated by the appointing authority.----- **Members** (2) The Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other categories in accordance	**Procedure for direct recruitment**	14. Direct recruitment shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct recruitment to Group 'C' posts (Mode of Procedure) Rules, 2015, as amended from time to time.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

with rule 6, call for interview such candidates as fulfil the requisite qualification.

(3) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit, as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the interview. If two or more candidate obtain equal marks, the Selection Committee shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the post. The number of names in the list shall be larger, but not larger by more than 25 percent than the number of vacancies. The list shall be forwarded to the appointing authority.

Substitution of rule 18

8.In the said rules, for existing rule 18 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN-1		**COLUMN-2**
	Existing rule		**Rule as hereby substituted**
Probation	18.(1) A person on appointment to the post in the service in a substantive vacancies shall be placed on probation for a period of two years: Provided that continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post may be taken into account in computing the period of probation for the purpose.	**Probation**	18.(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013, as amended from time to time.
	(2)The appointing authority may, for reasons to be recorded,		(2) If it appears to the appointing authority at any

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

extend the period in individual cases, specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, or if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with without entitling him to any compensation.

time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, his services may be dispensed with.

(3) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

Substitution of rule 20

9. In the said rules, for existing rule 20 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN-1 **Existing rule**		**COLUMN-2** **Rule as hereby substituted**
Seniority	20. (1) Separate seniority lists shall be maintained for each region by the concerned appointing authority and a combined seniority list shall also be maintained by the Cane Commissioner. (2) Seniority in the service shall be determined from the date of order of substantive appointment and where two or more persons are appointed together from the order in which their names are arranged in the appointment order: Provided that the persons who have been merged on the posts of Ganna Paryavekshak from the	**Seniority**	20. The seniority of persons substantively appointed to the posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time: Provided that the persons who have been merged on the posts of Ganna Paryavekshak from the post of Ganna Gram Sevak shall be junior to the persons appointed to the posts of Ganna

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

posts of Ganna Gram Sevak shall be junior to the persons appointed to the posts of Ganna Paryavekshak prior to such merger and their inter se seniority shall be the same as it existed in the cadre of Ganna Gram Sevak.

Paryavekshak prior to such merger and their inter se seniority shall be the same as it existed in the cadre of Ganna Gram Sevak.

Substitution of rule 21

10. In the said rules, for existing rule 21 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	COLUMN-1 Existing rule		COLUMN-2 Rule as hereby substituted
Scale of pay	21. (1). The scales of pay admissible to persons appointed to the post in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as under: (i) General pay scale Rs. 230-6-290-E.B.-9-335-E.B.-10-385. (ii) Pay scale of Selection Grade. Rs. 250-7-285-E.B.-9-375-E.B.-10-425. NOTE- Fifteen percent of the permanent post in the service shall be in the selection grade, which shall be given on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.	**Scale of pay**	21. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The scale of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh Ganna Paryavekshak (GroupIII) Service (Second Amendment) Rules, 2015 is Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay Rs. 2400/-.

Omission of rule 23

11. In the said rules, the existing rule 23 shall be omitted.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Substitution of Appendix 'A'

12. In the said rules, for the existing Appendix 'A' set out in column 1 below, the Appendix as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 **COLUMN-2**

Existing Appendix APPENDIX 'A'					**Appendix as hereby substituted APPENDIX 'A'**			
Name of the post	Strength			Pay scale	Name of the post	Strength		
	Permanent	Temporary	Total			Permanent	Temporary	Total
1	2	3	4	5	1	2	3	4
Ganna Paryavekshak	1336	83	1419	Rs. 230-6-290-E.B.-9-335-E.B.10-385. Fifteen percent of the permanent post are the post of selection grade in the pay scale of Rs. 250-7-285-E.B.-9-375-E.B.-10-425.	Ganna Paryavekshak	3767	-	3767

By order,

(RAHUL BHATNAGAR)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।